[2018] 10 S.C.R. 466

ऑटो कार्स

विरुद्ध

त्रिमूर्ति कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य .

(सिविल अपील संख्या 2018 की 2113)

फरवरी 15, 2018

आर.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे,न्यायाधीशगण

[सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- S. 27. परिशिष्ट-B r/w Or.V r.20(3) और Or. 9 r.13 प्रतिवादी संख्या I -वादी ने धन की वसूली के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया - अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 और 3-प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को भेजे गए समन सामान्य रूप से नहीं दिए गए थे सेवा का तरीका-वादी ने दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा की मांग की। Or.V r.20-वादी को अनुमति दी गई और समाचार पत्रों में सम्मन प्रकाशित किए गए - प्रतिवादी डी मामले में उपस्थित नहीं हुए, अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का फैसला किया और एक पक्षीय डिक्री पारित की, प्रतिवादियों ने Or. 9 r.13 का आवेदन दायर किया । अन्य बातों के साथ-साथ एकपक्षीय डिक्री को इस आधार पर रद्द करने के लिए कि मुकदमे का सम्मन उन पर विधिवत रूप से तामील नहीं किया गया था, आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया - अपील पर, माना गया: अपीलकर्ता ने सफलतापूर्वक एक आधार u/Or.IX, r.13 बनाया जिस पर विचार किया गया था। पूर्व-शुद्ध डिक्री-ऑन तथ्यों को अलग करने के लिए, समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा प्रतिवादियों को जो समन देने की मांग की गई थी, वह धारा 27 आर/डब्ल्यू परिशिष्ट-बी की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता था (प्रक्रिया) संख्या I और IA (राज्य द्वारा संशोधित) समन में भौतिक कमजोरी यह थी कि इसमें अदालत में प्रतिवादियों की उपस्थिति के लिए किसी विशिष्ट दिन, तारीख, वर्ष और समय का उल्लेख नहीं किया गया था। उपस्थिति के लिए वर्ष और समय) 27 आर/डब्ल्यू की आवश्यकता है। Or.V.r..20(3) और परिशिष्ट-बी की प्रक्रिया-आईए, यह प्रतिवादियों को उसमें तय की गई तारीख पर अदालत के सामने पेश होने में सक्षम बनाता - जबकि, प्रश्न में सम्मन में शब्द यह थे कि प्रतिवादियों को अदालत के सामने पेश होना चाहिए किसी विशिष्ट दिन, तारीख, वर्ष और समय का उल्लेख किए बिना समन के प्रकाशन की सेवा से 15 दिनों के भीतर न्यायालय के रजिस्ट्रार का यह आदेश धारा 27 आर/डब्ल्यू परिशिष्ट बी.की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित : 1. परिशिष्ट-बी प्रक्रिया संख्या I या संख्या IA (जो मौजूदा मामले पर लागू होता है क्योंकि विचाराधीन मुकदमा कलकत्ता से उत्पन्न होता है) में निर्धारित प्रारूप में, सम्मन में एक विशिष्ट कॉलम होता है जहां प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए "दिन, दिनांक, वर्ष और समय" का उल्लेख करना आवश्यक है। बी [पैरा 21] [477-ए-बी]

2. दूसरे शब्दों में, विधायिका ने संहिता में सम्मन का प्रारूप निर्धारित करते समय एक कॉलम प्रदान किया है जहां न्यायालय को प्रतिवादी की अदालत में उपस्थिति के लिए एक विशिष्ट "दिन, तारीख, वर्ष और समय" का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि वह उसके खिलाफ दायर मुकदमे का जवाब दे सके । यह संहिता की धारा 27 के तहत भी निर्धारित आवश्यकता है जैसा कि उसमें आने वाले शब्दों से स्पष्ट है "और उस दिन निर्धारित तरीके से सेवा में लिया जा सकता है"। [पैरा 22] [477-बी-सी]

3. आदेश V नियम 20(3) में प्रावधान है कि जब सेवा न्यायालय के आदेशों द्वारा प्रकाशन के माध्यम से प्रभावी की जाती है, तो न्यायालय को प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए "समय" तय करना होगा, जैसा कि मामले की आवश्यकता हो सकती है। इससे अदालत में प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए वास्तविक दिन, तारीख, वर्ष और समय का उल्लेख करने की आवश्यकता समाप्त नहीं होती है क्योंकि यह प्रारूप में निर्धारित है। अभिव्यक्ति "समय" को सामंजस्यपूर्ण ढंग से और संहिता के साथ संलग्न परिशिष्ट-बी के वैधानिक प्रारूप प्रक्रिया आईए के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 27 के तहत निर्धारित आवश्यकता के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। दरअसल, सम्मन में विशिष्ट "दिन, तारीख, वर्ष और समय" का उल्लेख कानून (संहिता) में निर्धारित एक वैधानिक आवश्यकता है और इसलिए, इसे एक खाली औपचारिकता नहीं कहा जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से प्रतिवादी के लाभ के लिए है क्योंकि यह प्रतिवादी को उसके

खिलाफ वादी द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में विशेष अदालत में उपस्थित होने की सटीक तारीख, समय और स्थान जानने में सक्षम बनाता है। [पैरा 23, 24 और 25] [477-डी-एफएल]

4. समन भेजने के पीछे मुख्य रूप से 3 उद्देश हैं - पहला, यह प्रतिवादी को वादी द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में अवगत कराना; दूसरा, प्रतिवादी को उसके विरुद्ध दायर वादपत्र की प्रति प्रदान करना; और तीसरा, प्रतिवादी को वास्तविक दिन, तारीख, वर्ष, समय और विशेष के बारे में सूचित करना ताकि वह उक्त मामले में अपनी उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित हो सके और व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से मुकदमे का जवाब दे सके। (पैरा 27] [477-जी-एच; 478-ए]

5. तथ्यों के आधार पर, समन दिनांक 17.11.2014, जिसे समाचार पत्रों में 25.11.2014 को प्रकाशित प्रकाशन द्वारा प्रतिवादियों को तामील करने की मांग की गई थी, परिशिष्ट-बी (प्रक्रिया I और IA) के साथ पढ़ी गई धारा 27 की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, 17.11.2004 को समाचार पत्रों (टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर) में प्रकाशित समन में भौतिक खामियां थीं, जिससे समन के साथ-साथ प्रतिवादियों को दी गई सेवा भी कानून की नजर में खराब हो गई। [पैरा 28 और 29] [478-बी-सी)

6. समन में भौतिक कमज़ोरी यह थी कि इसमें अदालत में प्रतिवादियों की उपस्थिति के लिए किसी विशिष्ट दिन, तारीख, वर्ष और समय का उल्लेख नहीं था। यह आदेश V नियम 20(3) और परिशिष्ट-बी की प्रक्रिया-IA के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 27 की आवश्यकता होने के कारण, न्यायालय के लिए ऐसे भरने के लिए बने कॉलम में विशिष्ट कार्य दिवस, तिथि, वर्ष और समय का उल्लेख करना अनिवार्य था। इससे प्रतिवादियों को निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में मदद मिलेगी। यह व्याख्या का एक स्थापित नियम है कि जब विधायिका किसी विशेष कार्य को एक विशेष तरीके से करने का प्रावधान करती है तो उस कार्य को उसी निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं। [पैरा 30] [478-डी-ई|

7. हालाँकि, प्रश्न में सम्मन में जो उल्लेख किया गया था वह यह था कि प्रतिवादियों को सम्मन की ऐसी सेवा के दिन को छोड़कर, इस सम्मन के प्रकाशन की सेवा से 15 दिनों के भीतर न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और जिस दिन मामला सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है, उस दिन वादी के दावे का जवाब देने के लिए व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है, उस दिन प्रतिवादियों को आपके सभी गवाह और आपके कब्जे या शक्ति में आपके सभी दस्तावेज़ पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपने मामले के समर्थन में विश्वास करने का इरादा रखते हैं। समन में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रतिवादियों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने में चूक करने पर, मुकदमा आपकी अनुपस्थिति में सुना और निर्धारित किया जाएगा। [पैरा 31] [478-एफ-जी]

8. सम्मन में उपरोक्त शब्द जहां तक हैं बिना किसी विशेष उल्लेख के 15 दिन का समय देने से संबंधित है दिन, तारीख, वर्ष और समय परिशिष्ट बी के साथ पढ़ी गई धारा 27 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। (पैरा 32] [478-एच; 479-ए]

9. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, किसी विशिष्ट दिन, तारीख, वर्ष और समय का उल्लेख किए बिना प्रतिवादियों पर समन की तामील को "संहिता के आदेश IX नियम 13 के अर्थ के अंतर्गत प्रतिवादियों को विधिवत तामील किया गया समन" नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे सम्मन और उसके परिणामस्वरूप की गई सेवा को संहिता के परिशिष्ट बी प्रक्रिया (I और IA) और आदेश 5 नियम 20 (3) में निर्धारित वैधानिक प्रारूप के साथ पढ़ी गई धारा 27 के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। [पैरा 33] 1479-बी]

10. यही कारण है कि अपीलकर्ता (प्रतिवादी क्रमांक 1) एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत विचार हेतु आधार बनाने में सक्षम। [पैरा 34] [479-सी]

संग्राम सिंह वि. चुनाव न्यायाधिकरण एआईआर 1955 एससी 425:

[1955] एससीआर 1 का उल्लेख किया गया है।

केस कानून संदर्भ

[1955] एससीआर 1 का उल्लेख किया गया है पैरा 37

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 2113

कलकत्ता में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.04.2017 से, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, 2014 के सीएस नंबर 15 में 2017 के एपीओ नंबर 200 में मूल पक्ष।

शेखर नफाड़े, सीनियर. अपीलकर्ताओं के लिए वकील, उदय बी. दुबे, शेषतलपा साई बंडारू, वकील।

एस. चक्रवर्ती, सुश्री सुरभि आनंद, सुश्री सोनिया दुबे, मै. कानूनी विकल्प, शशिभूषण पी. अडगांवकर, राणा संदीप बुस्सा, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय **अभय मनोहर सप्रे, जे**. द्वारा सुनाया गया। 1. निवेदन स्वीकृत।

2. यह अपील ए.पी.ओ. में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.04.2017 के खिलाफ दायर की गई है। सी.एस. संख्या 15/14 में 2017 की संख्या 200, जिसके तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और आदेश की पुष्टि की 766/2016 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18.08.2016 ने 15/2014 में दिनांक 09.02.2015 के एकपक्षीय डिक्री की पुष्टि की।

3. अपील में शामिल विवाद एक संकीर्ण दायरे में है। हालाँकि, विवाद को समझने के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।

4. अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 है जबकि प्रतिवादी नंबर 1 वादी है और प्रतिवादी नंबर 2 और 3 उस सिविल मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 2 और 3 हैं जिससे यह अपील उत्पन्न होती है।

5. वादी (प्रतिवादी संख्या 1) ने 1.43 रुपये की वसूली के लिए प्रतिवादियों (अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 और 3) के खिलाफ अपने मूल क्षेत्राधिकार में कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2014 के सीएस संख्या 15 के तहत एक सिविल मुकदमा 1,43,18,537/- की वसूली हेतु दिनांक 13.01.2014 को दायर किया। यह मुकदमा सेवाओं और माल की आपूर्ति आदि के संबंध में पार्टियों के बीच हुए कुछ वाणिज्यिक लेनदेन पर आधारित था।

6. हालाँकि, इस अपील के निपटान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादियों से संबंधित राशि का दावा करने के लिए उन तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करे जिनके आधार पर मुकदमा स्थापित किया गया था।

7. मुकदमे का समन शुरू में प्रतिवादियों को उनके वाद शीर्षक में उल्लिखित व्यवसाय के स्थान पर भेजा गया था, जो औरंगाबाद (एमएच) में दिखाया गया था। चूँकि प्रतिवादियों को सेवा के सामान्य तरीके से सेवा नहीं दी जा रही थी, वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 20 के तहत प्रकाशन के माध्यम से उन्हें प्रतिस्थापित सेवा के साथ सेवा देने की अनुमति मांगी (इसके बाद इसे "द" के रूप में संदर्भित किया गया है) कोड")। वादी को अनुमति प्रदान की गई।

8. दिनांक 17.11.2014 का समन तदनुसार 25.11.2014 को एफ टाइम्स ऑफ इंडिया (पुणे संस्करण) और दैनिक भास्कर (औरंगाबाद संस्करण) में प्रकाशित किया गया था। सम्मन, जो अखबारों में प्रकाशित हुआ था, इस प्रकार है :

"विज्ञापन

टाइम्स ऑफ इंडिया, मंगलवार, 25 नवंबर, 2014
सी एस नंबर 2014 की 15 कलकत्ता उच्च न्यायालय में
सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार
मूल पक्ष
मेसर्स त्रिमूर्ति कार्गो मूवर्स प्रा. लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 157-सी, लेलिन सारणी, कोलकाता-700013, उपरोक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ताल टोटिला और शाखा कार्यालय 305, शिवम चैंबर, एस.वी. है। रोड, गोरेगांव, मुंबई-400062। बनाम बी .....वादी

1. मेसर्स ऑटो कार्स, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है जिसका कार्यालय उपरोक्त अधिकार क्षेत्र के बाहर अदालत रोड, औरंगाबाद-4310001 पर है और शाखा कार्यालय 39-ए, हरीश मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025 पर है।

2. श्री वेणुगोपाल धूत, मेसर्स के भागीदार। उपरोक्त अधिकार क्षेत्र के बाहर अदालत रोड, औरंगाबाद-4310001 की ऑटो कारें। .....प्रतिवादी

विरुद्ध

1. श्री वेणुगोपाल धूत, मेसर्स के भागीदार। अदालत रोड की ऑटो कारें, औरंगाबाद-4310001।

2. श्री राज कुमार धूत, मेसर्स के भागीदार। अदालत रोड की ऑटो कारें, औरंगाबाद-4310001

प्रिय महोदय,

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 20 के तहत दिए गए नोटिस में कहा गया है कि ऊपर नामित वादी ने 13.01.2014 को या इसके आसपास कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें क्लॉज 12 के तहत छुट्टी की प्रार्थना की गई थी। लेटर्स पेटेंट, 1865 और एफ के दावे और राहतें:

(ए) उपरोक्त पैराग्राफ 14 में बताए अनुसार प्रतिवादी के खिलाफ 1,63,34,537/- रुपये की डिक्री;

(बी) 25% प्रति वर्ष की दर से ब्याज;

(सी)उपरोक्त डिक्रीटल राशि पर निर्णय होने तक अंतरिम ब्याज और ब्याज;

(डी) रिसीवर;

(सी) निषेधाज्ञा:

(फ) संलग्न

(छ) लागत:

(ज) ऐसी अतिरिक्त या अन्य राहतें

आपको इस समन के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता है, ऐसी सेवा के दिन को छोड़कर, और आपको उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। जिस दिन मामला सुनवाई के लिए रखा गया है उस दिन वादी के दावे का उत्तर देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय के किसी वकील द्वारा, उस तिथि पर आपको अपने सभी गवाहों या शक्तियों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन पर आप समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं। आपके मामले का.

आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा दर्ज किए गए मामले में उपस्थित होने में चूक करने पर मुकदमा सुना जाएगा और आपकी अनुपस्थिति में उसे निलंबित कर दिया जाएगा।

गवाह: श्रीमती मंजुला चेल्लूर, मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता ने 13 नवंबर, 2014 को उपरोक्त बात कही।

Arka Kumar Ghosh Master
17/11/14

(संतोष कुमार रे)
वादी पक्ष अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड
6 किरण शंकर रॉय रोड दूसरी मंजिल,
कमरा नंबर 707।
कोलकाता-700001

9. प्रतिवादी मामले में उपस्थित नहीं हुए, जैसा कि समन में निर्देशित किया गया था, इसलिए, न्यायालय ने प्रतिवादियों को एक पक्षीय रखा और उनकी अनुपस्थिति में गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का फैसला करने के लिए आगे बढ़े और अंततः 09.02.2015 को एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी। प्रतिवादियों के विरुद्ध 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित 1,43,18,537/- रुपये की राशि दिनांक 01.05.2013 से भुगतान की तिथि तक का आदेश हुआ ।

10. अपने खिलाफ डिक्री पारित होने का पता चलने पर, प्रतिवादियों ने 08.03.2016 को संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया (जीए नंबर 766/2016) जिसमें आदेश अपास्त के लिए प्रार्थना की गई । अन्य बातों के साथ-साथ यह आधार भी लिया गया की एकपक्षीय डिक्री को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि मुकदमे के सम्मन की विधिवत तामील नहीं की गई थी, इसलिए, उन्हें वादी द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया किं उनका व्यवसाय स्थान औरगाबाद में है, जबकि संबंधित समन पुणे के दैनिक समाचार पत्र, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। इसलिए, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि इस कारण से एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने का मामला बनता है, जैसा कि संहिता के आदेश IX नियम 13 की मंशा है और इसलिए दिनांक 09.02.2015 की एकपक्षीय डिक्री अपास्त की जानी चाहिए । सिविल मुकदमा संख्या 15/2014 को रद्द किया जाए और प्रतिवादियों को गुण-दोष के आधार पर मुकदमा लड़ने की अनुमति दी जाए।

11. वादी ने अपना उत्तर दाखिल किया और प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन का विरोध किया। वादी के अनुसार, प्रतिवादियों पर समन की तामील में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं थी और चूंकि समाचार पत्रों में प्रकाशन के अनुसार समन की तामील के बावजूद, प्रतिवादी मुकदमे में उपस्थित होने में विफल रहे, इसलिए, वे नहीं थे संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत किसी भी रियायत की मांग करने का हकदार है और न ही डिक्री को रद्द करने की मांग करने का हकदार है।

12. एकल न्यायाधीश ने, दिनांक 18.08.2016 के निर्णय द्वारा, प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सम्मन उन्हें विधिवत तामील कराया गया था। प्रतिवादियों ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय द्वारा, डिवीजन बेंच ने अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की।

13. अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) ने डिवीजन बेंच के फैसले से व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की।

14. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नफाडे को सुना गया, प्रतिवादी संख्या I के लिए विद्वान वकील श्री एस चक्रवर्ती को और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए विद्वान वकील श्री शशिभूषण पी. अडगांवकर को सुना गया।

15. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपील की अनुमति देने के इच्छुक हैं और आक्षेपित फैसले को रद्द करते हुए संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन की अनुमति देते हैं। परिणामस्वरूप, सिविल वाद संख्या 15/2014 में पारित एकपक्षीय डिक्री 09.02.2015 को रद्द कर दिया गया और गुण-दोष के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए मुकदमे को अपनी फाइल पर बहाल करें कानून के साथ.

16. हमारे सुविचारित विचार में, अपील में शामिल मुद्दे की जांच संहिता की धारा 27, परिशिष्ट-बी के साथ पढ़े जाने वाले आदेश V नियम 20(3) और आदेश IX नियम 13 को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

17. संहिता की धारा 27 प्रतिवादियों को समन जारी करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जहां एक मुकदमा दायर किया गया है, प्रतिवादी को उपस्थित होने और दावे का जवाब देने के लिए समन जारी किया जा सकता है और मुकदमा शुरू होने की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं "उस दिन निर्धारित तरीके से" तामील किया जा सकता है।

18. समन का प्रारूप, जिसका उपयोग प्रतिवादी को तामील कराने के लिए किया जाता है, परिशिष्ट-बी, प्रक्रिया संख्या I में निर्धारित है। जहां तक कलकत्ता का सवाल है, राज्य ने सम्मन के प्रारूप को प्रक्रिया संख्या IA के रूप में संशोधित किया है। ये प्रारूप कोड में जोड़े गए हैं और निम्नानुसार पढ़े गए हैं

"परिशिष्ट बी प्रक्रिया क्रमांक 1

मुकदमे के निपटान के लिए समन (ओ.वी., आर. 1 और आर.5)

(शीर्षक)

प्रति

.....[नाम, ई विवरण और निवास स्थान।]

जबकि... आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, आपको इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से या विधिवत निर्देश दिए गए वकील द्वारा उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है (और मुकदमे से संबंधित सभी भौतिक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, या जो आपके साथ होगा) कोई व्यक्ति, ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम, ...दिनांक 19.../20... को दोपहर में, दावे का उत्तर देने के लिए; और दिन के रूप में तय किया गया है, क्योंकि आपकी उपस्थिति मुकदमे के अंतिम निपटान के लिए नियुक्त की गई है, आपको उस दिन उन सभी गवाहों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके साक्ष्य और उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना है जिन पर आप अपने बचाव के समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि, उल्लिखित दिन से एक दिन पहले पर आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, मुकदमे की सुनवाई और निर्धारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के तहत दिया गया, कि..... दिन.....19..../20...

न्यायाधीश।

सूचना-**1.** यदि आपको संदेह है कि आपके गवाह अपनी मर्जी से उपस्थित नहीं होंगे, तो आप किसी भी गवाह की उपस्थिति के लिए बाध्य करने के लिए न्यायालय में और आवश्यक व्यय जमा करने पर इस न्यायालय से एक समन प्राप्त कर सकते हैं, और आवेदन करने पर कोई भी दस्तावेज पेश कर सकते हैं जिसे पेश करने के लिए गवाह को बुलाने का अधिकार आपके पास है। ।

2. यदि आप दावा स्वीकार करते हैं, तो आपको डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए मुकदमे की लागत के साथ अदालत में धन का भुगतान करना चाहिए, जो आपके व्यक्ति या संपत्ति या दोनों के खिलाफ हो सकता है।

"कलकत्ता- फॉर्म नंबर **1** के बाद, निम्नलिखित फॉर्म डालें, अर्थात्: -

"नंबर **1** ए
समन्स प्रतिवादी को यह सुनिश्चित करने के लिए बुलाता है कि
क्या मुकदमा लड़ा जाएगा (ओ.वी., आरआर. **1** और **5**)
(शीर्षक)

[नाम, विवरण और निवास स्थान।]

चूँकि आपके विरुद्ध मुकदमा संस्थित हो चुका है, अत: आपको इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या निर्देशानुसार किसी वकील द्वारा उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है, और जो मुकदमे से संबंधित सभी भौतिक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं... **19.. ./20...**, दोपहर बजे... ताकि उस दिन आप न्यायालय को सूचित कर सकें कि आप दावे का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विरोध करेंगे या नहीं करेंगे।

आदेश दें कि घटना मे दावे को पूर्णतः या आंशिक रूप से लड़ने का निर्णय लेने पर, आपको उस तारीख के बारे में निर्देश दिए जा सकते हैं जिस दिन आपका लिखित बयान दाखिल किया जाना है और गवाह या गवाह जिनके साक्ष्य पर आप अपने बचाव के समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं। प्रस्तुत किया जाना है और वह दस्तावेज़ या दस्तावेज भी जिन पर आप समर्थन करना चाहते हैं।इस बात का ध्यान रखें कि उल्लिखित दिन से पहले आपकी उपस्थिति के अभाव में मुकदमे की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा और आगे ध्यान दें कि आपके दावे को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने की स्थिति में न्यायालय तुरंत फैसला सुनाएगा।

आज दिनांक **19/20** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से दिया गया

न्यायाधीश।

नोटिस- यदि आप दावे को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं तो आपको किसी भी डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए मुकदमे की लागत के साथ इस तरह की स्वीकृति के आधार पर देय धन का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आपके संपत्ति, व्यक्ति या दोनों के खिलाफ पारित हो सकता है। **(25-8-1927** से)"

19. प्रक्रिया क्रमांक 1 का उपरोक्त प्रारूप संहिता के आदेश V नियम 1 और 5 के तहत जारी किए गए सम्मन की सेवा को प्रभावी करने के लिए समान रूप से निर्धारित है। हालाँकि, यह देखा गया है कि जहां तक उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) राज्य का संबंध है, इसने आदेश V नियम 20 के तहत तामील के लिए सम्मन का एक विशेष प्रारूप निर्धारित किया है, जबकि जहां तक कलकत्ता का संबंध है, इसने विशेष रूप से कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया है। प्रतिवादी पर संहिता के आदेश V नियम 20 के तहत सेवा प्रभावी करने के लिए विशेष प्रारूप, लेकिन संहिता के आदेश V नियम 1 और 5 के तहत सेवा प्रभावी करने के लिए एक विशेष प्रारूप निर्धारित किया है।

20. चूँकि संहिता के आदेश V नियम 1 और 5 के तहत आदेश V नियम 20 के तहत सम्मन की तामील के लिए कलकत्ता द्वारा कोई विशिष्ट प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए संहिता के आदेश V नियम 1 और 5 के तहत सम्मन की तामील के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है। संहिता के आदेश V नियम I और 5 के तहत समन का उपयोग संहिता के आदेश V नियम 20 के तहत प्रभावी सेवा के लिए समन जारी करने के लिए भी किया जाता है|

21. परिशिष्ट-बी प्रक्रिया संख्या 1 ए में निर्धारित प्रारूप में (जो मौजूदा मामले पर लागू होता है क्योंकि विचाराधीन मुकदमा कलकत्ता से उत्पन्न हुआ है), हम पाते हैं कि सम्मन में एक विशिष्ट कॉलम है जहां प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए "दिन, दिनांक, वर्ष और समय" का उल्लेख करना आवश्यक है।

22. दूसरे शब्दों में, विधायिका ने संहिता में सम्मन का प्रारूप निर्धारित करते समय एक कॉलम प्रदान किया है जहां न्यायालय को प्रतिवादी की अदालत में उपस्थिति के लिए एक विशिष्ट "दिन, तारीख, वर्ष और समय" का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि वह सक्षम हो सके। उसके खिलाफ दायर मुकदमे का जवाब दें। यह संहिता की धारा 27 के तहत भी निर्धारित आवश्यकता है जैसा कि उसमें आने वाले शब्दों से स्पष्ट है "और उस दिन निर्धारित तरीके से परोसा जा सकता है"।

23. आदेश V नियम 20(3) में प्रावधान है कि जब सेवा न्यायालय के आदेशों द्वारा प्रकाशन के माध्यम से प्रभावी होती है, तो न्यायालय को प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए "समय" तय करना होगा, जैसा कि मामले की आवश्यकता हो सकती है। हमारी राय में, यह अदालत में प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए वास्तविक दिन, तारीख, वर्ष और समय का उल्लेख करने की आवश्यकता से दूर नहीं है क्योंकि यह प्रारूप में निर्धारित है।

24. अभिव्यक्ति "समय" को सामंजस्यपूर्ण रूप से और संहिता के साथ संलग्न परिशिष्ट-बी के वैधानिक प्रारूप प्रक्रिया आईए के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 27 के तहत निर्धारित आवश्यकता के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

25. दरअसल, सम्मन में विशिष्ट "दिन, तारीख, वर्ष और समय" का उल्लेख कानून (संहिता) में निर्धारित एक वैधानिक आवश्यकता है और इसलिए, इसे एक खाली औपचारिकता नहीं कहा जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से प्रतिवादी के लाभ के लिए है क्योंकि यह प्रतिवादी को उसके खिलाफ वादी द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में विशेष अदालत में उपस्थित होने की सटीक तारीख, समय और स्थान जानने में सक्षम बनाता है।

26. यदि संबंधित न्यायालय में प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए विशिष्ट दिन, तारीख, वर्ष और समय का उल्लेख आदेश V के तहत निर्धारित सेवा के किसी भी तरीके से प्रतिवादी को वैध रूप से तामील किए गए समन में नहीं किया गया है, तो किसी निश्चित तारीख के अभाव में उसका अदालत में उपस्थित होना संभव नहीं होगा।

27. सम्मन भेजने के पीछे का उद्देश्य अनिवार्य रूप से तीन है- पहला, यह प्रतिवादी को वादी द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में अवगत कराना है; दूसरा, प्रतिवादी को की प्रति प्रदान करना उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, और तीसरा, प्रतिवादी को वास्तविक के बारे में सूचित करना एक दिन, तारीख, वर्ष, समय और विशेष अदालत ताकि वह उक्त मामले में अपनी उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित हो सके और व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से मुकदमे का जवाब दे सके।

28. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, हम पाते हैं कि दिनांक 17.11.2014 का समन, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर में 25.11.2014 को प्रकाशित बी प्रकाशन द्वारा प्रतिवादियों को तामील करने की मांग की गई थी, का अनुपालन नहीं किया गया। परिशिष्ट-बी (प्रक्रिया) संख्या I और IA के साथ पठित धारा 27 की आवश्यकता।

29. दूसरे शब्दों में, 17.11.2004 को समाचार पत्रों (टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर) में प्रकाशित समन में भौतिक दुर्बलता सी थी, जिसने समन को प्रस्तुत किया और साथ ही प्रतिवादियों पर की गई सेवा भी कानून की नजर में खराब थी।

30. समन में भौतिक कमज़ोरी यह थी कि इसमें प्रतिवादियों की अदालत में उपस्थिति के लिए किसी विशिष्ट दिन, तारीख, वर्ष और समय का उल्लेख नहीं था। यह आदेश वीडी नियम 20(3) और परिशिष्ट-बी की प्रक्रिया-आईए के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 27 की आवश्यकता है, इसलिए न्यायालय के लिए ऐसे भरने के लिए बने कॉलम में विशिष्ट कार्य दिवस, तिथि, वर्ष और समय का उल्लेख करना अनिवार्य था। इससे प्रतिवादियों को निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में मदद मिलेगी। यह व्याख्या का स्थापित नियम है कि जब विधायिका किसी विशेष कार्य को किसी विशेष तरीके से करने का प्रावधान करती है तो उस कार्य को उसी निर्धारित तरीके से ही किया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं।

31. हालाँकि, प्रश्न में सम्मन में जो उल्लेख किया गया था वह यह था कि प्रतिवादियों को सम्मन की ऐसी तामील के दिन को छोड़कर, इस सम्मन के प्रकाशन की सेवा से 15 दिनों के भीतर न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और जिस दिन मामला सुनवाई के लिए रखा गया है उस दिन वादी के दावे का जवाब देने के लिए व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है, जिस तारीख को आपको (प्रतिवादियों को) अपने सभी गवाह और आपके कब्जे में मौजूद सभी दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रहना होगा या वह शक्ति जिस पर आप अपने मामले के समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं। समन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आपको (प्रतिवादियों को) यह ध्यान रखना होगा कि यदि आप इस प्रकार उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो मुकदमा आपकी अनुपस्थिति में सुना और निर्धारित किया जा सकता है।

32. जहां तक इसका संबंध है, सम्मन में उपरोक्त शब्द किसी विशिष्ट दिन, तारीख, वर्ष आदि का उल्लेख किए बिना 15 दिन का समय देना समय धारा 27 सहपठित परिशिष्ट बी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

33. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, किसी विशिष्ट दिन, तारीख, वर्ष और समय का उल्लेख किए बिना प्रतिवादियों पर समन की तामील को "संहिता के आदेश IX नियम 13 के अर्थ के अंतर्गत प्रतिवादियों पर विधिवत तामील किए गए समन" के रूप में नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे सम्मन और उसके परिणामस्वरूप की गई सेवा को संहिता के परिशिष्ट बी प्रक्रिया (1 और आईए) और आदेश 5 नियम 20 (3) में निर्धारित वैधानिक प्रारूप के साथ पढ़ी गई धारा 27 के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

34. इस कारण से, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत विचार किया गया आधार बनाने में सक्षम था।

35. एक बार जब अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) यह दिखाने में सक्षम हो जाता है कि "उसे सम्मन विधिवत नहीं दिया गया था" जैसा कि संहिता की धारा 27 के सह पठित परिशिष्ट बी प्रक्रिया आईए और आदेश 5 नियम 20 (3) के तहत निर्धारित है, तो यह संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने का एक आधार है। हमारे विचार में, अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) आधार स्पष्ट करने में सक्षम है।

36. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमें किसी भी अन्य आधार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) ने अपने मामले के समर्थन में इसे उठाया हो, क्योंकि उपरोक्त आधार, जिस पर हमने विचार किया है, हालांकि अपीलकर्ता द्वारा नहीं उठाया गया है। निचली अदालतों में, लेकिन कानून का शुद्ध प्रश्न होने और अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मामले की जड़ तक जाने के कारण पर्याप्त न्याय करने के लिए इस अदालत में इसे उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

37. अलग होने से पहले, हम अपने आप को एक विद्वान न्यायाधीश - विवियन बोस, जे. की उपयुक्त टिप्पणियों को याद दिलाना उचित समझते हैं, जो उनके आधिपत्य ने **संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण** के एक प्रमुख मामले में आदेश IX के दायरे से निपटने के दौरान की थी। (एआईआर 1955 एससी 425)।

38. विद्वान न्यायाधीश ने लेखन की अपनी विशिष्ट शैली में बेंच के लिए बोलते हुए न्यायालयों को पार्टियों के अधिकारों का निर्णय करते समय निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखने की याद दिलाई, जो इस प्रकार है:

"एक प्रक्रिया संहिता को ऐसे ही माना जाना चाहिए। यह न्याय को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई गई प्रक्रिया है।"

आगे इसके अंत: सज़ा और जुर्माने के लिए कोई दंडात्मक अधिनियम नहीं; लोगों को परेशान करने के लिए डिज़ाइन की गई चीज़ नहीं। खंडों का बहुत अधिक तकनीकी निर्माण जो व्याख्या की उचित लोच के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए (बशर्ते कि हमेशा दोनों पक्षों को न्याय मिले) ऐसा न हो कि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए साधनों का उपयोग इसे विफल करने के लिए किया जाए। प्रक्रिया के हमारे कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसके अनुसार पुरुषों की अनसुनी निंदा नहीं की जानी चाहिए, उनकी पीठ पीछे निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए, उनके जीवन और संपत्ति को प्रभावित करने वाली कार्यवाही उनकी अनुपस्थिति में जारी नहीं रहनी चाहिए और उन्हें ऐसा करना चाहिए। उनमें भाग लेने से रोका न जाए। बेशक, अपवाद होने चाहिए और जहां उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, वहां उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर, और उस परंतुक के अधीन, प्रक्रिया के हमारे कानूनों को, जहां कहीं भी संभव हो, उस सिद्धांत के आलोक में समझा जाना चाहिए।"

39. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। सिंगल जज और डिविजन बेंच के फैसले खारिज किए जाते हैं। संहिता के आदेश IX नियम 13 (जीए संख्या 766/2016) के तहत दायर अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) के आवेदन की अनुमति है। परिणामस्वरूप सी.एस. क्रमांक 15/2014 में पारित एक पक्षीय डिक्री दिनांक 09.02.2015 को निरस्त किया जाता है। सिविल वाद को उसकी मूल फ़ाइल में पुनर्स्थापित किया जाता है।

40. पक्षों को 05.03.2018 को संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा ताकि न्यायालय मुकदमे का फैसला कर सके। अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) को लिखित बयान दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। न्यायालय बाहरी सीमा के रूप में एक वर्ष के भीतर कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का निपटान सुनिश्चित करेगा।

41. हालाँकि, यह हमारे संज्ञान में लाया गया था कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता को 47.50 लाख रुपये की राशि जमा करने के लिए कहा गया था जो उन्होंने जमा कर दी है। अब जब मुकदमा गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए अपनी मूल फ़ाइल में बहाल हो गया है, तो हम यह स्पष्ट करते हैं कि निक्षेप और 47.50 लाख रुपये की निकासी मुकदमे के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति.

Smt. Namit Dwivedi,
Assistant Director, MPSJA